



डिस्क्लेमर

इस दस्तावेज़ में सभी जानकारी दिनांक 3 जूलाई 2021 तक हैं और वेबसाइट या इसके प्रासंगिक स्रोतों में से एकत्र की गई हैं। यह समय के साथ बदल सकता है या भिन्न हो सकता है। यह केवल आपके मार्गदर्शन के लिए है। आगे बढ़ने से पहले जांचें।

Source: www.swavlambancard.gov.in and Relevant Medical Authority of UDID Card Department.

Website: www.vconnectfoundation.org

Mail to: contact@vconnectdountion.org



🌈 यूडीआईडी कार्ड के बारे में

एक यूडीआईडी कार्ड डिस्एबल्ड व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट आईडी है। राज्य सभा ने यूडीआईडी कार्ड के लिए के लिए 14/12/2016 को विधेयक पारित किया। इस अधिनियम में 21 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया गया है। यह विभिन्न लाभों का उपयोग करने के लिए एक डिस्एबल्ड व्यक्ति की पहचान और सत्यापन के लिए एक एकल दस्तावेज है। कार्ड में एक डिस्एबल्ड व्यक्ति के बारे में सभी आवश्यक विवरण होते हैं और कई दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

🌈 डिस्एबिलिटी कार्ड (यूडीआईडी कार्ड) के लाभ

1. यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।
2. डिस्एबल्ड व्यक्तियों को दस्तावेजों की कई कापी बनाने और कई दस्तावेजों को साथ ले जाने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि कार्ड सभी आवश्यक विवरणों को कैप्चर करेगा जिन्हें एक डिवाइस की मदद से से डिकोड किया जा सकता है।
3. UDID कार्ड धारक को अब डिस्एबिलिटी के प्रमाण के रूप में लंबे दस्तावेज़ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी की डिस्एबिलिटी स्थिति को साबित करने के लिए यूडीआईडी कार्ड हर जगह स्वीकार्य होगा।
4. इस कार्ड का उपयोग करने से डिस्एबल्ड लोगों को डिस्एबिलिटी प्रमाण पत्र(डिस्एबिलिटी सर्टिफिकेट) भौगोलिक वैधता के संबंध में आने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी, जहां कहीं भी लागू हो।
5. कार्ड एक क्रेडिट कार्ड आकार का होगा। इसे ले जाना आसान होगा।
6. डिस्एबिलिटी से संबंधित डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम सभी डेटा की विशिष्टता सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर सकता है।
7. सरकार में कोई बदलाव होने पर सिस्टम को आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है।
8. व्यक्ति की डिस्एबिलिटी की सीमा की पहचान करना आसान होगा। 40% से कम डिस्एबिलिटी वाले व्यक्ति के के पास सफेद पट्टी वाला कार्ड होगा, 40 से 80% के पास पीली पट्टी वाला कार्ड होगा और 80% से अधिक डिस्एबिलिटी के पास नीली पट्टी वाला कार्ड होगा।
9. यूडीआईडी कार्ड भविष्य में विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए डिस्एबल्ड व्यक्ती की पहचान, सत्यापन का एकल दस्तावेज होगा।
10. यूडीआईडी कार्ड ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के सभी स्तरों पर लाभार्थी की लाभार्थी की भौतिक और वित्तीय प्रगति की ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करने में भी मदद करेगा।

Source: www.swavlambancard.gov.in and Relevant Medical Authority of UDID Card Department.



🚩 यूडीआईडी कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

1. डिस्एबल्ड व्यक्ति जिन्हें किसी भी प्रकार की डिस्एबलिटी हो।
2. हियरींग लोस वाले बच्चों के लिए कान में साठ डेसिबल या उससे अधिक की हानि होती है, इसके लिए आवृत्तियों की संवादी सीमा में आवेदन कर सकते हैं।
3. डिस्एबल्ड व्यक्ति जिनके पास पहले से ही डिस्एबलिटी सर्टिफिकेट है।
4. डिस्एबल्ड व्यक्ति जिनके पास कोई डिस्एबलिटी सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) नहीं है।
5. डिस्एबल्ड व्यक्ति जिन्होंने डिस्एबलिटी सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) के लिए आवेदन किया है और उनके डिस्एबलिटी सर्टिफिकेट की प्रक्रिया चल रही है।
6. डिस्एबल्ड व्यक्ति जिनका प्रमाणपत्र टेमप्रररी है और जिन्हें पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।
7. डिस्एबल्ड व्यक्ति जिनके आवेदन अस्वीकार कर दिए गए थे / डिस्एबल्ड प्रमाण पत्र के लिए पुनर्मूल्यांकन के पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से आवेदन करना चाहते हैं।
8. भारत में कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

🚩 यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज।

1. बच्चे के फोटो की स्कैन की गई कॉपी। (15 केबी से 30 केबी)
2. हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान की स्कैन की गई कोपी। (3kb से 30kb)
3. एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी (आधार/पैन कार्ड/राशन कार्ड आदि) (10kb से 100kb)
4. पहचान प्रमाण की स्कैन कॉपी (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि) (10kb से 100kb)
5. डिस्एबलिटी सर्टिफिकेट की स्कैन की गई कोपी (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) (10kb से 100kb)

Source: www.swavlambancard.gov.in and Relevant Medical Authority of UDID Card Department.



यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

- 1) यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.swavlambancard.gov.in पर जाएं।
- 2) होम पेज में "डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन " पर क्लिक करें।
- 3) पहले टैब में यानी व्यक्तिगत विवरण "*" (तारा) के साथ चिह्नित फ़ील्ड भरें। बच्चे की फोटो, आधार कार्ड, अंगूठे अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर सही से अपलोड करें और अगले बटन पर क्लिक करें।
- 4) दूसरे टैब में यानी डिसेबिलिटी विवरण में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करें और सभी आवश्यक विवरण भरें।
- 5) तीसरे टैब में यानी रोजगार विवरण में आवश्यक विवरण भरें।
- 6) चौथे टैब में यानी पहचान विवरण पहचान प्रमाण(आधार कार्ड)अपलोड करें और आवश्यक विवरण भरें।
- 7) फॉर्म भरने के बाद सभी विवरण को दोबारा जांचें। यदि आप एडीट (कुछ बदलना)करना चाहते हैं तो आप एप्लिकेशन एडीट टैब पर क्लिक कर सकते हैं। (एक बार सबमिट करने के बाद आप एडीट नहीं कर पाएंगे)।
- 8) फॉर्म जमा करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नामांकन संख्या(एनरोलमेन्ट नंबर) प्राप्त प्राप्त होगा जिसे आपको भविष्य के संदर्भ के लिए संभालना होगा। रसीद का प्रिंटआउट ले लें।
- 9) सभी डेटा जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय / चिकित्सा प्राधिकरण को जमा किया किया जाएगा ।
- 10) सीएमओ कार्यालय/चिकित्सा प्राधिकरण आपके सभी डेटा को जांचेगा। जांचने के बाद, सीएमओ कार्यालय/चिकित्सा प्राधिकरण मूल्यांकन के लिए संबंधित विशेषज्ञ असाइन करेगा। रसीद में कुछ अस्पतालों के अस्पतालों के नाम का नाम लिखे होंगे, आगे के मूल्यांकन के लिए उस अस्पताल में से एक अस्पताल पर जाएं।
- 11) विशेषज्ञ चिकित्सक डिसेबल व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) की डिसेबिलिटी का जांच करता है और डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी पर राय देता है।
- 12) मेडिकल बोर्ड मामले की जांच करता है और डिसेबिलिटी का प्रतिशत(%) निर्धारित करता है। सीएमओ कार्यालय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी तैयार करता है।
- 13) यूडीआईडी की डेटाशीट यूडीआईडी कार्ड प्रिंटिंग के लिए जाती है।
- 14) हमारा यूडीआईडी कार्ड तैयार होने के बाद एक संदेश भेजा जाएगा। कार्ड दी गई वेबसाइट से एनरोलमेन्ट नंबर लिख कर प्रिंट किया जा सकता है।
- 15) प्रक्रिया के बाद यूडीआईडी कार्ड बताए गए पते पर डाक(पोस्ट) द्वारा भेजा जाएगा।
- 16) एक बार आवेदन करने के बाद आप ऊपर बताई गई वेबसाइट पर यूडीआईडी कार्ड स्टेटस पर क्लिक करके करके आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

Source: www.swavlambancard.gov.in and Relevant Medical Authority of UDID Card Department.



यूडीआईडी कार्ड की वैधता

टेम्पररी डिस्एबिलिटी के मामले में यूडीआईडी कार्ड की वैधता 5 वर्ष है और परमनेन्ट डिस्एबिलिटी के लिए इसकी वैधता परमनेन्ट है।

यदि कार्ड पे कैपिटल में "P" लिखा है तो इसका मतलब है कि कार्ड परमनेन्ट है लेकिन अगर कार्ड पे कैपिटल कैपिटल में "T" लिखा है तो इसका मतलब है कि कार्ड 5 साल तक वैध है।

रिन्यूअल प्रोसेस ,गुम हुआ यूडीआईडी कार्ड या अप्लाई करने के बाद प्राप्त ना हुआ यूडीआईडी कार्ड।

नवीनीकरण प्रक्रिया

यूडीआईडी पोर्टल पर जाएं और होम पेज में " डिस्एबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड नवीनीकरण टैब" पर पर आवश्यक डिटेल्स भरें और जमा करें।

यूडीआईडी कार्ड का खो जाना-

यूडीआईडी कार्ड पोर्टल के होम पेज मे युडीआईडी के खोने का आवेदन करने और आवश्यक विवरण भरे।

अभी तक यूडीआईडी कार्ड नहीं मिला ??

यदि मूल्यांकन किया गया है और फिर भी प्राप्त नहीं हुआ है तो एक आवेदन लिखें और मूल्यांकन (एसेसमेंट) रसीद के साथ अस्पताल जाएं और कार्ड के बारे मे पता करे।

Source: www.swavlambancard.gov.in and Relevant Medical Authority of UDID Card Department.



मुंबई अस्पताल जो इसके अंतर्गत आता है:

www.swavlambancard.gov.in

क्रमांक	क्षेत्र	अस्पताल का नाम	सप्ताह के दिन	समय
1.	पालघर।	ग्रामीण अस्पताल	चेक कर लें	चेक कर ले
2.	ठाणे	पंडित भिसेन जोशी अस्पताल	बुधवार	10:00am to 2:00pm
	भयिंदर	एनएमएमसी जनरल अस्पताल	बुधवार और गुरुवार	9:30am to 12:30pm
	वाशी	वी.ए.स जनरल अस्पताल	बुधवार और गुरुवार	10:00am to 1:00pm
	ठाणे (डब्ल्यू)	छत्रपति शिवाजजी महाराज अस्पताल	मंगलवार और शुक्रवार	10:00am to 1:00pm
3.	मुंबई उपनगरीय	डॉ रुस्तम नारसी कूपर - म्यूनिसिपल जनरल अस्पताल	बुधवार और शुक्रवार	10:00am to 2:00pm
4.	मुंबई	नायर अस्पताल	रोज़	8:00am to 10:00am
	मुंबई सेंट्रल	जेजे अस्पताल	बुधवार	10:00am to 2:00pm
	बायखाला	अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान संस्थान	बुधवार	9:00am to 12:30pm

Source: www.swavlambancard.gov.in and Relevant Medical Authority of UDID Card Department.



YOUR SUPPORT!

At VConnect we really want to make a difference to the lives of thousands of children with hearing loss in and around India in our endeavor to successfully mainstream them at all levels.

All donations to VConnect Foundation are 50% exempt from tax under section 80G of the Income Tax Act.

Cheques & Demand Drafts to be made in the name of 'VConnect Foundation' Direct online fund transfers details are as under:

A/c: VConnect Foundation
Savings Account
Account Number: 3014605126
Bank details: Central Bank of India, Colaba Causeway Branch, Mumbai 400005
IFSC CODE: CBIN0281407

For foreign donations (FCRA Account):

A/c: VConnect Foundation
Savings Account
Account Number: 40274065525
Bank details: State Bank of India, FCRA Cell, 4th Floor, New Delhi Main Branch, 11 Sansad Marg, New Delhi 110001
IFSC CODE: SBIN0000691
SWIFT: SBININBB104

Trust & Contact Details

Name of the Trust: VConnect Foundation

Legal Status: Charitable Trust

VConnect Foundation is a registered not-for-profit company under section 25 of the Indian Companies Act (1956) and has tax exempt status in India under section 80(G) of the Income Tax Act (1961).

Registered Office: C-216, Bunyaan, Seth Moti Shah X Lane, Byculla (E), Mumbai 400 027, India

Correspondence: R-7, Cusrow Baug, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai 400001

Contact No: +91 9820409019

Email Id: contact@vconnectfoundation.org

Website: www.vconnectfoundation.org

Facebook: <https://www.facebook.com/VConnectfoundation/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/vconnectfoundation/>

Instagram: <http://www.instagram.com/vconnectfoundation/>

YouTube: <https://youtube.com/vconnectfoundation>

Twitter: <https://twitter.com/VConnect>

Source: www.swavlambancard.gov.in and Relevant Medical Authority of UDID Card Department.